

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**

क्रमांक / एफ-1 / 836/2022/10-11 / 1471  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/05/2025

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,  
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

**विषय:-** वन मंडल रीवा के वन कक्ष PF-334 के रकबा 4.460 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत ऑनलाईन प्रस्ताव क्र.FP/MP/MIN/152431/2022

**संदर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 02.04.2025

—0—

विषयांकित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 16 बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	The State Govt. shall clarify whether the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh is still valid as on date or otherwise.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा कलेक्टर, खनिज शाखा जिला रीवा/मऊगंज की सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 31.01.2026 तक वैध है। छायाप्रति संलग्न है।
2	Details of mineral evacuation plan and how the requirements of electricity and water will be met shall be submitted. The detail of additional forest land (if any) required for the purpose shall also be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी प्रस्तुत की है कि खनिज निकासी का कार्य यांत्रिकीय विधि से किया जावेगा, खनिज उत्खनन हेतु बिजली की आवश्यकता नग्न्य है एवं पानी की पूर्ति हेतु टैंकर के माध्यम से की जावेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
3	The user agency in Part-I form reported that the Project does not requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance) whereas the instant project is for mining. A clarification in this regard needs submission.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण से रोकथाम हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। KML फाईल में उक्त क्षेत्र को दर्शाया गया है एवं धूल की रोकथाम हेतु समय-समय पर पानी का छिड़काव टैंकरों द्वारा किया जावेगा। साथ ही जल की निकासी नहीं की जावेगी, जिस कारण से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

4	The instant mine has been proposed to be worked upon by mechanized mining with implementation of Open-cast technology. Therefore, the status of muck disposal plan shall be submitted along with relevant details.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया है कि परियोजना से निकला हुआ मलबा को निजी भूमि क्रय कर राजस्व क्षेत्र में डम्प किया जावेगा। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वनक्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जावेगा।
5	Complete copy of an approved mining plan needs submission. The State Govt. shall also ensure that the land-use as proposed in the proposal shall invariably commensurate with the land-use as given in the approved mining plan. A comparative analysis shall be provided in this regard	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र में खनन का कार्य माइनिंग प्लान अनुसार किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
6	The State Govt. has not informed as to how much area of the proposed NFL (village wise/ patch wise) for raising compensatory afforestation is having specified density as per the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. Moreover, the State shall also ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 and the crop improvement programme of the forest crop in the NFL proposed for CA shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम-13 के अनुसार ग्राम सरदमन में एक ही पैच में 4.460 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसका घनत्व 0.2 से 0.4 है एवं प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि एवं डबल डिग्रेडेड वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भी प्रस्तावित है।
7	Para 2, Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 says that "Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account". Keeping this in view, the KML file of the Degraded forest land which is twice in size of such shortfall in the compensatory afforestation land needs to be submitted (if applicable) along with Maps, CA scheme, Site suitability certificate etc.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम-13 के पैरा 2 अनुसार प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी KML फाईल, जियो रिफरेंस सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर द्वारा तैयार कर अपलोड कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है। साथ ही वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली द्वारा दुगने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर प्रस्तुत की गई है। छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।



8	Given the density of 0.4 of the proposed forest area of 4.46 ha, number of project affected trees reported as 6 appears to have been estimated on lower side. The same needs to be reconfirmed by the State. It may also be clarified whether the tree enumerations have been done as per actual standing trees on ground or through sampling method or by adopting any other method.	इस बिन्दु के संबंध में वनमण्डल, रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 में प्रस्तावित क्षेत्र 4.46 हेक्टेयर भूमि को मौके से जाकर गणना की गई है। गणना पत्रक अनुसार 06 नग वृक्ष एवं 179 नग बांस भिरा मौके पर मौजूद है। छायाप्रति संलग्न है।
9	The State Govt. in the Part-II form reported that the proposed forest land is not prone to soil erosion whereas as depicted through satellite imagery the lease is situated at hilly terrain. Therefore, factual details in this regard needs submission along with the mitigation plan/ Soil Erosion Treatment Plan duly approved by the DCF concerned to choke the soil erosion.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि प्रस्तावित क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी का कटाव होना असम्भव है। इसके उपरांत भी आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
10	The forest land proposed for diversion is located in Rewa District whereas the land proposed for CA has been proposed in the Sagar District. Thus, the land for diversion is situated at an aerial distance of approximately 329 Km away from the land for CA. Therefore, the State Govt. shall ensure that the Para 2.2 (xiii) of Chapter-2 given in the consolidated Handbook of Guidelines issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardha) Rules-2023 has been followed while selecting the land proposed for CA.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि वनमण्डल, दक्षिण सागर में प्रदाय की गई है एवं परियोजना का वैकल्पिक वृक्षारोपण वनमण्डल, दक्षिण सागर में ही तैयार की गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जाती है उसे मान्य हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
11	The KML files indicating the different components of the projects like safety zone/ Green belt, Infrastructure, OB dump etc shall be submitted along with land use map. The component wise details of the proposed forest land shall also be updated on the PARIVESH portal.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन/ ग्रीन बेल्ट 7.5 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसे KML फाईल में दर्शाया गया है। (मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है) जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी जानकारी ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में दर्ज कर दी गई है।

12	DSS analysis revealed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the Non-forest land proposed for CA because the part of the proposed CA land is partly falling in forest compartment.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की संशोधित KML फाईल ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
13	The CF, Rewa circle in their recommendation reported that the proposed forest land is under possession of Madhya Pradesh Van Vikas Nigam Limited (MPVVNL). Therefore, details of work carried out by the MPVVNL along with the copy of NOC from the land owning agency shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में वनमण्डल, रीवा के कक्ष क्रमांक पी-334 वर्ष 2013 में म0प्र0 राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी को हस्तांतरित हुआ था। जिसमें रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी द्वारा वृक्षारोपण कार्य कक्ष के कुल रकबा 199.480 हेक्टेयर में से वर्ष 2022 में 9.000 हेक्टेयर क्षेत्र में 22500 नग एवं वर्ष 2023 में 5.000 हेक्टेयर क्षेत्र में 12500 नग व्यावसायिक सागौन रोपण किया गया था। शेष वन कक्ष का रकबा 185.480 हेक्टेयर चट्टानी एवं ढलानयुक्त रोपण योग्य न होने के कारण रोपण कार्य नहीं किया गया। उक्त रिक्त क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी दिशा में है, जिसमें लगभग प्राकृतिक बांस भिरे 179 नग एवं मिश्रित प्रजाति के 113 वृक्ष उपलब्ध है। वन मण्डल, रीवा द्वारा प्राप्त वनक्षेत्र की भूमि को किसी भी बाहरी एजेंसी को देने का अधिकार वन विकास निगम, सीधी को नहीं है। संबंधित वनक्षेत्र वनमण्डल, रीवा का है, यदि वनमण्डल, रीवा उक्त वनक्षेत्र किसी यूजर एजेंसी को देता है तो वन विकास निगम सीधी को कोई आपत्ति नहीं होगी। छायाप्रति संलग्न है।
14	The APCCF & Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh in their covering letter reported that the instant proposal is for establishment of crushing plant instead of mining. This needs clarification. The State shall also ensure that the forest land cannot be diverted for any non-site specific activities.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान से वचन पत्र प्राप्त किया गया है, जिसमें आवेदक संस्था ने लेख किया है कि प्रभावित वनभूमि में केवल खनन का कार्य ही किया जावेगा, अन्य कोई गतिविधि नहीं की जावेगी, जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।



15	As per the DSS analysis, Part of proposed forest land in the instant proposal is found overlapping with the forest land proposed via another proposal i.e. FP/MP/MIN/152432/2022 of same user agency. Further, a gap around 8 meters have been noticed in between the two lease proposed for Nonforestry use. This needs justification along with mitigation measures	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित दो पट्टों में लगभग 08 मीटर के अंतर की KML फाईल संशोधित कर ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें ओवरलैपिंग एवं दोनों पट्टों के बीच का अंतर नहीं है।
16	The justification behind non-submission of cluster mining proposal instead of submitting the diversion proposal in piecemeal manner needs submission.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि उक्त खदानों के आवंटन की प्रक्रिया खनिज विभाग द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार की गई है। खनिज विभाग द्वारा इन खदानों के आवंटन की प्रक्रिया पृथक-पृथक करते हुए आवंटन की कार्यवाही खदानवार अलग-अलग की गई है। अतः प्रकरण में आवंटन अनुसार ही प्रस्ताव ऑनलाईन अलग-अलग प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः प्राप्त जानकारी संलग्न कर प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(एच.एस.मीहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/836/2022/10-11/ 1472  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16/05/2025

- 1 मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश ।
- 2 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश ।
- 3 श्री ललित पंधाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76, सेक्टर 13 हुद्दा भिवानी, हरियाणा ।  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



**M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES**

प्रति

वनमण्डलाधिकारी

वन मण्डल रीवा (म.प्र.)

**विषय:-** वन मण्डल रीवा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 4.460 हेक्टेयर वनभूमि में सैंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स हुड्डा भिवानी हरियाणा को उपयोग पर देने बावत् ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/152431/2022

**संदर्भ :-** आपका पत्र/मा.चि./3504 दिनांक 16.04.2025 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन भवन तुलसी नगर भोपाल का पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-1/835/2022/10-11/1050 दिनांक 03.04.25

-----:0:-----

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल एवं आपके संदर्भित पत्र से बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी जिसे बिन्दुवार तैयार कर श्रीमान जी.की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	The State Govt. shall clarify whether the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh is still valid as on date or otherwise.	कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा/मऊगंज के पत्र क्रमांक/307/खनिज/2024 दिनांक 20.11.2024 से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी अवधि 31.01.2026 तक वैध है। छायाप्रति संलग्न है।
2	Details of mineral evacuation plan and how the requirements of electricity and water will be met shall be submitted. The detail of additional forest land (if any) required for the purpose shall also be submitted.	खनिज निकासी का कार्य यांत्रिकीय विधि से किया जावेगा, खनिज उत्खनन हेतु बिजली की आवश्यकता नगन्य है एवं पानी की पूर्ति हेतु टैंकर के माध्यम से की जावेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
3	The user agency in Part-I form reported that the Project does not require Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance) whereas the instant project is for mining. A clarification in this regard needs submission.	आवेदक संस्थान द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण से रोकथाम हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा, के.एम.एल. फाइल में उक्त क्षेत्र को दर्शाया गया है, एवं धूल की रोकथाम हेतु समय-समय पर पानी का छिड़काव टैंकरों द्वारा किया जावेगा। साथ ही जल की निकासी नहीं की जावेगी, जिस कारण से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4	The instant mine has been proposed to be worked upon by mechanized mining with implementation of Open-cast technology. Therefore, the status of muck disposal plan shall be submitted along with relevant details.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से निकला हुआ मलबा को निजी भूमि क्रय कर राजस्व क्षेत्र में डम्प किया जावेगा। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वनक्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जावेगा।
5	Complete copy of an approved mining plan needs submission. The State Govt. shall also ensure that the land-use as proposed in the proposal shall invariably commensurate with the land-use as given in the approved mining plan. A comparative analysis shall be provided in this regard	स्वीकृति खनन योजना की प्रति संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र में खनन का कार्य माइनिंग प्लान अनुसार किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
6	The State Govt. has not informed as to how much area of the proposed NFL (village wise/ patch wise) for raising compensatory afforestation is having specified density as	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम -13 के अनुसार ग्राम हरईगुजरान में एक ही पैच में 4.460 हेक्टेयर क्षेत्र

15-05-25

म.प्र. वन मण्डल रीवा




	per the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. Moreover, the State shall also ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 and the crop improvement programme of the forest crop in the NFL proposed for CA shall be submitted.	प्रस्तावित है, जिसका घनत्व 0.2 से 0.4 है एवं प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि एवं डबल डिग्रेटेड वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भी प्रस्तावित है।
7	Para 2, Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 says that "Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassified forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account". Keeping this in view, the KML file of the Degraded forest land which is twice in size of such shortfall in the compensatory afforestation land needs to be submitted (if applicable) along with Maps, CA scheme, Site suitability certificate etc.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम -13 के पैरा 2 अनुसार प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी के.एम.एल. फाइल, जियो रिफरेश सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा तैयार कर अपलोड कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है, साथ ही वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा दुगुने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
8	Given the density of 0.4 of the proposed forest area of 4.46 ha, number of project affected trees reported as 6 appears to have been estimated on lower side. The same needs to be reconfirmed by the State. It may also be clarified whether the tree enumerations have been done as per actual standing trees on ground or through sampling method or by adopting any other method.	वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के कक्ष क्रमांक पी. 334 में प्रस्तावित क्षेत्र 4.46 हेक्टेयर भूमि को मौके से जाकर गणना की गई है, गणना पत्रक अनुसार 06 नग वृक्ष एवं 179 नग बांस भिरा मौके पर मौजूद है। मौका पंचनामा की प्रति संलग्न है।
9	The State Govt. in the Part-II form reported that the proposed forest land is not prone to soil erosion whereas as depicted through satellite imagery the lease is situated at hilly terrain. Therefore, factual details in this regard needs submission along with the mitigation plan/ Soil Erosion Treatment Plan duly approved by the DCF concerned to choke the soil erosion.	प्रस्तावित क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी का कटाव होना असम्भव है। इसके उपरांत भी आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
10	The forest land proposed for diversion is located in Rewa District whereas the land proposed for CA has been proposed in the Sagar District. Thus, the land for diversion is situated at an aerial distance of approximately 329 Km away from the land for CA. Therefore, the State Govt. shall ensure that the Para 2.2 (xiii) of Chapter-2 given in the consolidated Handbook of Guidelines issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardha) Rules-2023 has been followed while selecting the land proposed for CA.	प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि गैर वनभूमि वनमण्डल दक्षिण सागर में प्रदाय की गई है एवं परियोजना का वैकल्पिक वृक्षारोपण वनमण्डल दक्षिण सागर में ही तैयार की गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जाती है उसे मान्य हेतु आवेदक संस्थान वचन बद्ध है।
11	The KML files indicating the different components of the projects like safety zone/ Green belt, Infrastructure, OB dump etc shall be submitted along with land use map. The component wise details of the proposed forest land shall also be updated on the PARIVESH portal.	आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन/ ग्रीन बेल्ट 7.5 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसे के.एम.एल. फाइल में दर्शाया गया है। (मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है) जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी जानकारी ऑन लाइन परिवेश पोर्टल में दर्ज कर दी गई है।
12	DSS analysis revealed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the Non-forest land proposed for CA	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की संशोधित के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश



	because the part of the proposed CA land is partly falling in forest compartment.	पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
13	The CF, Rewa circle in their recommendation reported that the proposed forest land is under possession of Madhya Pradesh Van Vikas Nigam Limited (MPVVNL). Therefore, details of work carried out by the MPVVNL along with the copy of NOC from the land owning agency shall be submitted.	वनमण्डल रीवा के कक्ष क्रमांक पी-334 वर्ष 2013 में म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी को हस्तान्तरित हुआ था। जिसमें रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी द्वारा वृक्षारोपण कार्य कक्ष के कुल रकवा 199.480 हेक्टेयर में से वर्ष 2022 में 9.000 हेक्टेयर क्षेत्र में 22500 नग एवं वर्ष 2023 में 5.000 हेक्टेयर क्षेत्र में 12500 नग व्यावसायिक सागौन रोपण किया गया था। शेष वनकक्ष का रकवा 185.480 हेक्टेयर चट्टानी एवं ढलानयुक्त रोपण योग्य न होने के कारण रोपण कार्य नहीं किया गया। उक्त रिक्त क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी दिशा में है, जिसमें लगभग प्राक्तिक बांस भिरें 179 नग एवं मिश्रित प्रजाति के 113 वृक्ष उपलब्ध है। वन मण्डल, रीवा द्वारा प्राप्त वनक्षेत्र की भूमि को किभी भी बाहरी एजेंसी को देने का अधिकार वन विकास निगम, सीधी को नहीं है। संबंधित वनक्षेत्र वन मण्डल, रीवा का है, यदि वन मण्डल, रीवा उक्त वनक्षेत्र किसी यूजर एजेंसी को देता है तो वन विकास निगम सीधी को कोई आपत्ति नहीं होगी। छायाप्रति संलग्न है।
14	The APCCF & Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh in their covering letter reported that the instant proposal is for establishment of crushing plant instead of mining. This needs clarification. The State shall also ensure that the forest land cannot be diverted for any non-site specific activities.	प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान प्रभावित वनभूमि में खनन का कार्य किया जावेगा, अन्य कोई गतिविधि नहीं की जावेगी, जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
15	As per the DSS analysis, Part of proposed forest land in the instant proposal is found overlapping with the forest land proposed via another proposal i.e FP/MP/MIN/152432/2022 of same user agency. Further, a gap around 8 meters have been noticed in between the two lease proposed for Nonforestry use. This needs justification along with mitigation measures.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित दो पट्टों की में लगभग 08 मीटर के अंतर की के.एम.एल. फाइल संशोधित कर ऑन लाइन परिवेष पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें ओवरलैपिंग एवं दोनो पट्टों के बीच का अंतर नहीं है।
16	The justification behind non-submission of cluster mining proposal instead of submitting the diversion proposal in piecemeal manner needs submission.	उक्त खदानों के आवंटन की प्रक्रिया खनिज विभाग द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार की गई है खनिज विभाग द्वारा इन खदानों की आवंटन की प्रक्रिया पृथक-पृथक करते हुए आवंटन की कार्यवाही खदानवार अलग-अलग की गई है। अतः प्रकरण में आवंटन अनुसार ही प्रस्ताव ऑनलाईन अलग-अलग प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज

स्टोन्स  
Swami Nityanand Ji Maharaj Stones  
(संलग्न पत्राल)   
PROPRIETOR

म.प. 975/76 सेक्टर, 13 हुड्डा भिवानी हरियाणा





कार्यालय सभागीय प्रबंधक, म.प्र.वाज्य वन विकास निगम लिमिटेड  
रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी (म.प्र.)

E-Mail :- dmsidhi@yahoo.com

CIN-U02001MP1975SGC001314

Phone/Fax :- 07822 - 796058

क्र० / व.वि.नि. / मा.चि. / 2025 / 622

सीधी दिनांक 15/5/25

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी  
सामान्य वन मण्डल, रीवा  
जिला-रीवा (म०प्र०)

विषय :- वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष पी.एफ. 334 के रकवा 4.460 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्ओन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/152431.2022

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 14.05.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष पी.एफ. 334 जो वर्तमान में रीवा-सीधी परियोजना मण्डल सीधी को हस्तान्तरित है जिसमें रकवा 4.460 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्ओन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/152431.2022 में भारत सरकार द्वारा प्रकरण में जानकारी चाही गई है।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से वांछित जानकारी तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(राकेश कोड़ापे)  
सभागीय प्रबंधक  
रीवा-सीधी परियोजना मण्डल  
सीधी (म०प्र०)  
सीधी दिनांक 15/5/25

पृ०क्र० / व.वि.नि. / मा.चि. / 2025 / 623

प्रतिलिपि:- परियोजना परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सभागीय प्रबंधक  
रीवा-सीधी परियोजना मण्डल  
सीधी (म०प्र०)

म0प्र0 राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी (म0प्र0)

क्रमांक	चाही गई जानकारी विवरण	चाही गई जानकारी प्रत्युत्तर
01	रीवा सर्किल के सी.एफ. ने अपनी अनुशंसा में बताया कि प्रस्तावित वनभूमि म0प्र0 राज्य वन विकास निगम लि. (एम.पी.आर.व्ही.व्ही.एन.एल.) के कब्जे में है। इसलिये एम.पी.आर. व्ही.व्ही.एन.एल. द्वारा किये गये कार्यों का विवरण और भूमि स्वामी वाली एजेन्सी से एन.ओ.सी. की प्रति प्रस्तुत की जावे।	वन मण्डल, रीवा के कक्ष क्रमांक पी-334 वर्ष 2013 में म0प्र0 राज्य वन विकास निगम लि0 के रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी को हस्तान्तरित हुआ था। जिसमें रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी द्वारा वृक्षारोपण कार्य कक्ष के कुल रकवा 199.480 हेक्टेयर में से वर्ष 2022 में 9.000 हेक्टेयर क्षेत्र में 22500 नग एवं वर्ष 2023 में 5.000 हेक्टेयर क्षेत्र में 12500 नग व्यावसायिक सागौन रोपण किया गया था। शेष वनकक्ष का रकवा 185.480 हेक्टेयर चट्टानी एवं ढलानयुक्त रोपण योग्य न होने के कारण रोपण कार्य नहीं किया गया। उक्त रिक्त क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी दिशा में है, जिसमें लगभग प्राकृतिक बांस भिरें 179 नग एवं मिश्रित प्रजाति के 113 वृक्ष उपलब्ध है। वन मण्डल, रीवा द्वारा प्राप्त वनक्षेत्र की भूमि को किभी भी बाहरी एजेन्सी को देने का अधिकार वन विकास निगम, सीधी को नहीं है। संबंधित वनक्षेत्र वन मण्डल, रीवा का है, यदि वन मण्डल, रीवा उक्त वनक्षेत्र किसी यूजर एजेन्सी को देता है तो वन विकास निगम सीधी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सम्भागीय प्रबंधक  
रीवा-सीधी परियोजना मण्डल  
सीधी (म0प्र0)



# स्थल निरीक्षण मौका पंचनामा

स्थान:- हरदोय नदी  
कंदुभावन PF 334  
दिनांक:- 01/08/2022

हम नीचे लिखे हस्ताक्षरित पंचनामा सच सच वेदी कर रहे हैं कि आज दिनांक को श्रीमान व.म.अ. महोदय रीवा के पत्र क्र. मा.चि. 6423 दि. 25/07/2022 अनुसार वन परिषदाधिकारी महोदय प.स. सीतापुर एवं अन्य वन भूमाला के साथ आवेदक श्री स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्वामी प्रोपराइट्स ललित पंचाल हाउस नं. 975 76 सेक्टर 13 हुड्डा जिला भिवानी हरियाणा द्वारा ग्रामहरदोय गुजरात के शाश्वती वन भूमि कस क्र. PF-334 खसरा नं. 02/1 में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत खनिज पत्थर के उत्खनन हेतु रकबा 4.460 हे. की जी.पी.एस. रीडिंग (A)  $24^{\circ}32'36.3''$  E-  $81^{\circ}48'58.9''$  (B)  $24^{\circ}32'38.4''$  E-  $81^{\circ}49'02.09''$  (C)  $24^{\circ}32'32.6''$  E-  $81^{\circ}49'08.09''$  (D)  $24^{\circ}32'28.7''$  E-  $81^{\circ}49'06.02''$  (E)  $24^{\circ}32'32.2''$  E-  $81^{\circ}48'58.9''$  (F)  $24^{\circ}32'33.5''$  E-  $81^{\circ}48'59.7''$  (G)  $24^{\circ}32'34.9''$  E-  $81^{\circ}48'59.9''$  है, प्रस्तावित क्षेत्र का स्थल मौका निरीक्षण किया गया स्थल निरीक्षण में प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र में कुल 179 बोरा भिरी एवं 04 नगपेला जीम-01 नग, चुरुलि-01 नग मौके से पाया गया भूमि की स्पष्ट कवर्किंग 58 एवं क्षेत्र का घनत्व 0.04 है प्रभावित होने वाली वन भूमि में एथिल वेशों एवं बोरा भिरी की गिनती, मार्किंग कराकर प्रजातिलिखी सूची तैयार कराई गई है प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि का मौके से सत्यापन किया गया जिसका मौका पंचनामा मौके से तैयार कराया गया और फर्म भूमिक की उपस्थिति में पद-पद कर सुनाया गया वतपश्चात हस्ताक्षर कराया गया जो सत्य एवं सही है।

पंचनामा मेरे द्वारा लेख किया गया।

प.स. सीतापुर

व.म.अ. महोदय  
कंदुभावन  
हरदोय नदी

Ro. Mawjary

ललित पंचाल



## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज (म.प्र.)

E-mail:- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / 36 / खनिज / 2024  
प्रति

मऊगंज, दिनांक 20-11-24


मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स,  
प्रो. श्री ललित पंधाल  
निवासी मकान नंबर 975/76 सेक्टर 13,  
हुड्डा भिवानी, हरियाणा

- विषय :- ग्राम हरई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.460 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) का उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र क्रमांक 769 दिनांक 12.11.2020 के निराकरण विषयक ।
- संदर्भ :-
1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 438/ खनिज / 2021 रीवा, दिनांक 11.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 5938/ खनिज / 2021 रीवा, दिनांक 11.10.2021
  2. आपका पत्र दिनांक 01.02.2024 एवं 14.11.2024.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा ग्राम हरई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.460 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र 10 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 12.11.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था।

वन मण्डलाधिकारी रीवा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि है जो कि खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) के अंतर्गत है। प्रकरण में आवश्यक परीक्षण उपरांत प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर रीवा जिले के ग्राम हरई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.460 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर सैद्धान्तिक सहमति संदर्भित पत्र दिनांक 11.01.2021 एवं 11.10.2021 द्वारा प्रदान की गई थी।

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक से 31.01.2026 तक की अवधि के अंदर अनुमोदित खनन योजना इस कार्यालय में उपलब्ध करावें। अनुमोदित खनन योजना एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन विभाग के अनुमति प्राप्त कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात् ही उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जा सकेंगे।  
(कलेक्टर महो० द्वारा अनुमोदित)

  
उप-संचालक  
(खनिज प्रशासन)  
जिला रीवा (म०प्र०)



कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख  
खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन  
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म  
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश

ई मेल - rhdgmrew@mp.gov.in

फोन एवं फैक्स न. 07662 222044, 222045

क्रमांक 14-49/भौ./न.क्र./2020-21

रीवा दिनांक 22/12/2020

प्रति

प्रभारी अधिकारी खनिज  
जिलाध्यक्ष कार्यालय  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- ग्राम हरई गुजरान तह. मऊगंज जिला रीवा के ख.न. 2/1 (पी ) रकबा 4.460 हे. में खनिज पत्थर (यां. वि. से गिट्टी निर्माण) का उत्खनिपट्टा हेतु आवेदन पत्र। आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स प्रो. श्री ललित पट्टाल।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 5210/खनिज/2020 रीवा दिनांक 13.11.2020

—00—

उपरोक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आवेदित क्षेत्र के अक्षांश देशांश की जानकारी के अभाव में आवेदक द्वारा बताए गए आवेदित क्षेत्र एवं आसपास स्थित क्षेत्र में स्थित खदानों में विद्यमान चट्टानों के संस्तर का अवलोकन किया गया। क्षेत्रीय भौगोलिक एवं भूगर्भीय स्थिति के अनुसार क्षेत्र में विन्ध्य समूह की चट्टानें विद्यमान हैं। क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज क्वार्ट्जिटिक सैंड स्टोन है। जिसे गौण खनिज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्षेत्र में अन्य किसी प्रकार का मिनरलाइजेशन नहीं देखा गया। क्षेत्र में लगभग 2,23,000 घन मीटर खनिज उपलब्ध हो सकता है।

क्षेत्रीय प्रमुख

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म

क्षेत्रीय कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश





# कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 299135



क्रमांक/मा.चि./4404  
प्रति,

रीवा, दिनांक 15.05.2025

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(कक्ष भू-प्रबंध)

वन भवन तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषय:- वन मण्डल रीवा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 4.460 हेक्टेयर वनभूमि में सैंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स हुड्डा भिवानी हरियाणा को उपयोग पर देने बावत् ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/152431/2022

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/835/2022/10-11/1149 दिनांक 08.04.2025  
2. श्री ललित पंधाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन हाउस का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 15.05.2025

—00—

विषयांतर्गत अनुरोध है कि संदर्भित पत्र से प्रकरण के संबंध बिन्दुवार जानकारी चाही गई है, जिसमें आवेदक संस्थान द्वारा उक्त बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	The State Govt. shall clarify whether the Letter of intent (Lol) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh is still valid as on date or otherwise.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा/मऊगंज के पत्र क्रमांक/307/खनिज/2024 दिनांक 20.11.2024 से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी अवधि 31.01.2026 तक वैध है। छायाप्रति संलग्न है।
2	Details of mineral evacuation plan and how the requirements of electricity and water will be met shall be submitted. The detail of additional forest land (if any) required for the purpose shall also be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि खनिज निकासी का कार्य यांत्रिकीय विधि से किया जावेगा, खनिज उत्खनन हेतु बिजली की आवश्यकता नगन्य है एवं पानी की पूर्ति हेतु टैंकर के माध्यम से की जावेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
3	The user agency in Part-I form reported that the Project does not requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance) whereas the instant project is for mining. A clarification in this regard needs submission.	आवेदक संस्थान द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण से रोकथाम हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा, के.एम.एल. फाइल में उक्त क्षेत्र को दर्शाया गया है, एवं धूल की रोकथाम हेतु समय-समय पर पानी का छिड़काव टैंकरों द्वारा किया जावेगा। साथ ही जल की निकासी नहीं की जावेगी, जिस कारण से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4	The instant mine has been proposed to be worked upon by mechanized mining with implementation of Open-cast technology. Therefore, the status of muck disposal plan shall be submitted along with relevant details.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से निकला हुआ मलबा को निजी भूमि क्रय कर राजस्व क्षेत्र में डम्प किया जावेगा। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वनक्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जावेगा।
5	Complete copy of an approved mining plan needs submission. The State Govt. shall also ensure that the land-use as proposed in the proposal shall invariably commensurate with the land-use as given in the approved mining plan. A comparative analysis shall be provided in this regard	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि स्वीकृति खनन योजना की प्रति संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र में खनन का कार्य माइनिंग प्लान अनुसार किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
6	The State Govt. has not informed as to how much area	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम -13

main  
for 1405



	of the proposed NFL (village wise/ patch wise) for raising compensatory afforestation is having specified density as per the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. Moreover, the State shall also ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 and the crop improvement programme of the forest crop in the NFL proposed for CA shall be submitted.	के अनुसार ग्राम हरईगुजरान में एक ही पैच में 4.460 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसका घनत्व 0.2 से 0.4 है एवं प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि एवं डबल डिग्रेडेड वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भी प्रस्तावित है।
7	Para 2, Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 says that "Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassified forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account". Keeping this in view, the KML file of the Degraded forest land which is twice in size of such shortfall in the compensatory afforestation land needs to be submitted (if applicable) along with Maps, CA scheme, Site suitability certificate etc.	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम -13 के पैरा 2 अनुसार प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी के.एम.एल. फाइल, जियो रिफरेंस सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा तैयार कर अपलोड कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है लेख किया गया है।
8	Given the density of 0.4 of the proposed forest area of 4.46 ha, number of project affected trees reported as 6 appears to have been estimated on lower side. The same needs to be reconfirmed by the State. It may also be clarified whether the tree enumerations have been done as per actual standing trees on ground or through sampling method or by adopting any other method.	वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के कक्ष क्रमांक पी. 334 में प्रस्तावित क्षेत्र 4.46 हेक्टेयर भूमि को मौके से जाकर गणना की गई है, गणना पत्रक अनुसार 06 नग वृक्ष एवं 179 नग बांस भिरा मौके पर मौजूद है। मौका पंचनामा की प्रति संलग्न है।
9	The State Govt. in the Part-II form reported that the proposed forest land is not prone to soil erosion whereas as depicted through satellite imagery the lease is situated at hilly terrain. Therefore, factual details in this regard needs submission along with the mitigation plan/ Soil Erosion Treatment Plan duly approved by the DCF concerned to choke the soil erosion.	प्रस्तावित क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी का कटाव होना असम्भव है। इसके उपरान्त भी आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
10	The forest land proposed for diversion is located in Rewa District whereas the land proposed for CA has been proposed in the Sagar District. Thus, the land for diversion is situated at an aerial distance of approximately 329 Km away from the land for CA. Therefore, the State Govt. shall ensure that the Para 2.2 (xiii) of Chapter-2 given in the consolidated Handbook of Guidelines issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardha) Rules-2023 has been followed while selecting the land proposed for CA.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि गैर वनभूमि वनमण्डल दक्षिण सागर में प्रदाय की गई है एवं परियोजना का वैकल्पिक वृक्षारोपण वनमण्डल दक्षिण सागर में ही तैयार की गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जाती है उसे मान्य हेतु आवेदक संस्थान वचन बद्ध है।
11	The KML files indicating the different components of the projects like safety zone/ Green belt, Infrastructure, OB dump etc shall be submitted along with land use map. The component wise details of the proposed forest land shall also be updated on the PARIVESH portal.	आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन/ ग्रीन बेल्ट 7.5 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसे के.एम.एल. फाइल में दर्शाया गया है। (मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है) जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी जानकारी ऑन लाइन परिवेश पोर्टल में दर्ज कर दी गई है।
12	DSS analysis revealed that the user agency has uploaded	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की



	incorrect KML file of the Non-forest land proposed for CA because the part of the proposed CA land is partly falling in forest compartment.	संशोधित के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
13	The CF, Rewa circle in their recommendation reported that the proposed forest land is under possession of Madhya Pradesh Van Vikas Nigam Limited (MPVVNL). Therefore, details of work carried out by the MPVVNL along with the copy of NOC from the land owning agency shall be submitted.	वनमण्डल रीवा के कक्ष क्रमांक पी-334 वर्ष 2013 में म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी को हस्तान्तरित हुआ था। जिसमें रीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी द्वारा वृक्षारोपण कार्य कक्ष के कुल रकवा 199.480 हेक्टेयर में से वर्ष 2022 में 9.000 हेक्टेयर क्षेत्र में 22500 नग एवं वर्ष 2023 में 5.000 हेक्टेयर क्षेत्र में 12500 नग व्यावसायिक सागौन रोपण किया गया था। शेष वनकक्ष का रकवा 185.480 हेक्टेयर चट्टानी एवं ढलानयुक्त रोपण योग्य न होने के कारण रोपण कार्य नहीं किया गया। उक्त रिक्त क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी दिशा में है, जिसमें लगभग प्राक्तिक बांस भिरें 179 नग एवं मिश्रित प्रजाति के 113 वृक्ष उपलब्ध है। वन मण्डल, रीवा द्वारा प्राप्त वनक्षेत्र की भूमि को किभी भी बाहरी एजेन्सी को देने का अधिकार वन विकास निगम, सीधी को नहीं है। संबंधित वनक्षेत्र वन मण्डल, रीवा का है, यदि वन मण्डल, रीवा उक्त वनक्षेत्र किसी यूजर एजेन्सी को देता है तो वन विकास निगम सीधी को कोई आपत्ति नहीं होगी। छायाप्रति संलग्न है।
14	The APCCF & Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh in their covering letter reported that the instant proposal is for establishment of crushing plant instead of mining. This needs clarification. The State shall also ensure that the forest land cannot be diverted for any non-site specific activities.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि प्रमाणित किया जाता है प्रभावित वनभूमि में खनन का कार्य किया जावेगा, अन्य कोई गतिविधि नहीं की जावेगी, जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
15	As per the DSS analysis, Part of proposed forest land in the instant proposal is found overlapping with the forest land proposed via another proposal i.e FP/MP/MIN/152432/2022 of same user agency. Further, a gap around 8 meters have been noticed in between the two lease proposed for Nonforestry use. This needs justification along with mitigation measures.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित दो पट्टों की में लगभग 08 मीटर के अंतर की के.एम.एल. फाइल संशोधित कर ऑन लाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें ओवरलैपिंग एवं दोनो पट्टों के बीच का अंतर नहीं है।
16	The justification behind non-submission of cluster mining proposal instead of submitting the diversion proposal in piecemeal manner needs submission.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि उक्त खदानों के आवंटन की प्रक्रिया खनिज विभाग द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार की गई है खनिज विभाग द्वारा इन खदानों की आवंटन की प्रक्रिया पृथक-पृथक करते हुए आवंटन की कार्यवाही खदानवार अलग-अलग की गई है। अतः प्रकरण में आवंटन अनुसार ही प्रस्ताव ऑनलाईन अलग-अलग प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(लोकेश निरापुरे भा.व.से.)

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र./मा.चि./4405

रीवा, दिनांक/15.05.2025

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल रीवा (म.प्र.)